

न्यायालय श्रीमान् मण्डल ग्वालियर म.प्र.



आर.ए.बि.सिंग
27/9/16 को

R-3335-II-16

रतन सिंह तनय स्व.लाल गजाधर सिंह उम्र-67वर्ष पेशा कृषि

27/9/16

निवासी कृपालपुर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.....

निगराकार

83
27-9-18

बनाम

1-रूपा सिंह पत्नी स्व.प्रशांत सिंह निवासी कृपालपुर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

2-एसवर्धन सिंह तनय स्व.श्री प्रशांत सिंह नावालिग बलीसरपरस्त माँ श्रीमती रूप सिंह पत्नी स्व.प्रशांत सिंह निवासी कृपालपुर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.....

गैरनिगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के रा.प्र.कं.115अ74/15-16 में पारित आदेश दिनांक 24.08.16 एवं तहसीलदार के रा.प्र.कं.1891अ74/15-16 के आदेश दिनांक 16.08.16

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

आर.ए.बि.सिंग
27-9-16


189

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3335-दो/16

जिला - सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 115/अ-74/15-16 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम. शर्मा) सदस्य </p>	